



2026:AHC:56179

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 1465 वर्ष 2026

राम स्वरूप पाल उर्फ आरएस पाल और 3 अन्यआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्यविपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राकेश कुमार दूबे

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 77

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार दुबे और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदन इस आवेदन के प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत के लिए दायर किया गया है। प्रार्थना खंड नीचे दिया गया है:-

"ए. माननीय न्यायालय निवेदन है कि वह आपराधिक वाद संख्या 2072/2019 (राज्य बनाम आर.एस. पाल और अन्य) जो कि मुकदमा अपराध संख्या 132/1991 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता धारा 147, 148, 149, 307, 353 के तहत पुलिस स्टेशन शिवराजपुर जिला कानपुर देहात में दर्ज, सिविल जज (एस.डी.)/एफटीसी कानपुर देहात की न्यायालय में लंबित है से संबंधित मामले की आगे की कार्यवाही को रद्द करने की कृपा करें।"

बी. माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वह जिला कानपुर देहात के ए.सी.जे.एम. द्वारा दिनांक 04.12.2014 को पारित आदेश और सिविल जज (एस.डी.)/एफटीसी, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 12.09.2025 को पारित परिणामी आदेश को स्थगित कर दें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सी. माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आपराधिक वाद संख्या 2072/2019 (राज्य बनाम आर.एस. पाल और अन्य) जो कि मुकदमा अपराध संख्या 132/1991 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता धारा 147, 148, 149, 307, 353 के तहत पुलिस स्टेशन शिवराजपुर, जिला कानपुर देहात में दर्ज, सिविल जज (एस.डी.)/एफटीसी कानपुर देहात की न्यायालय में लंबित है, वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान की आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए, अन्यथा आवेदकों को अपूरणीय क्षति और हानि होगी, या न्याय के हित में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाला कोई भी आदेश पारित किया जा सकता है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक इस न्यायालय के समक्ष यह वचन देते हैं कि वे संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और मुकदमे की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्होंने आगे निवेदन किया कि मामले का मुख्य अभिलेख 29.09.2021 से गुम था; हालांकि, दिनांक 28.10.2025 के आदेशानुसार, आरोपपत्र सहित मूल अभिलेख अब मिल गया है और इसे सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)/एफटीसी, जिला कानपुर देहात के संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक पहले से ही जमानत पर हैं और अवर न्यायालय के साथ सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं, और उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। इसके बावजूद, आवेदकों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए आश्वासन पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री शशधर पांडे ने बताया कि मुकदमा 1999 से लंबित है और आईपीसी की धारा 307 के साथ अन्य धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने आगे बताया कि पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाई गई है जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ी है और समाज में अराजकता फैली है। हालांकि, यदि आवेदक मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करने को तैयार हैं, तो उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को स्थगित रखा जा सकता है।

6. पक्षकारों के तर्कों पर विचार करते हुए और न्याय के हित में, यह न्यायालय, बीएनएसएस की धारा 528 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, निर्देश देता है कि आवेदकों के विरुद्ध जारी किए गए गैर-जमानती वारंटों का संचालन, मुकदमे की कार्यवाही में उनके पूर्ण सहयोग के अधीन, स्थगित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को सीआर.पी.सी. की धारा 207 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सीआर.पी.सी. की धारा 209 के तहत मामले को सत्र न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

8. यह भी निर्देश दिया जाता है कि जब तक उचित कारण न बताए जाएं, अभियुक्तों को अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा। यदि याचिकाकर्ता सुनवाई में सहयोग नहीं करते हैं, तो संबंधित न्यायालय (मजिस्ट्रेट न्यायालय या सत्र न्यायालय) सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू करने और जमानत बांड और जमानतदारों को रद्द करने और जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि जमानत बांड और जमानतदार अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो तुरंत नए जमानत बांड और जमानतदार नियुक्त किए जाएंगे।

9. आवेदकों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किए गए गैर-जमानती वारंट, यदि कोई हों, आवेदकों द्वारा दिए गए वचन का पालन किए जाने तक स्थगित रहेगी।

10. तदनुसार, आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

18 मार्च, 2026

डीकेएस

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)